न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर (अलवर) राज.

पीठासीन अधिकारी – सुश्री रेखा गूर्जर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या–159 / 2002
दायर दिनांक –07.09.2002
निर्णय दिनांक – 31/8/21

उनवान

1. पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी चौढाणिंया तहसील बानसूर जिला अलवर हालवासी ससुराल मोलाहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
2. मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल जाति गुर्जर निवासी चौढाणिंया तहसील बानसूर जिला अलवर हालवासी ससुराल कल्यानपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

––वादीगण

बनाम

1. हन्सा पुत्री साधू पौत्री रामनाथ जाति गुर्जर
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर
3. प्रभु पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर
4. विशम्बर पुत्र रत्न पौत्र रामनाथ जाति गुर्जर
5. गोपीराम पुत्र रत्न पौत्र रामनाथ जाति गुर्जर
6. मु0 बैया स्त्री स्व0 रत्न पुत्रवधु रामनाथ जाति गुर्जर
   समस्त निवासीयान चौढाणिंया तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

––असल प्रतिवादीगण

7. श्रीमान तहसीलदार महोदय, बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर राज.

––तरतीवी प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राज.काश्त.अधि.

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री छाजूसिंह तंवर एड.– वादीगण की ओर से
2. श्री हरफूल सिंह मीणा एड़– प्रतिवादी संख्या 02, 03 की ओर से
3. श्री सहमाल रावत एड.– प्रतिवादीगण 04 लगायत 06 की ओर से
4. परोकार सरकार– तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से
5. एक पक्षीये कार्यवाही– प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। मूल वाद के पश्चात प्रस्तुत संशोधित वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण असल एवं मूल वाद में वर्णित तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 मु0 पांची एक ही हिन्दू मुश्तरका परिवार के सदस्य रहे है जो कि मृतक रामनाथ पुत्र मोहन गुर्जर के काबिज वारीसान है। ताईद में सजरा पेश है। हाल आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा नम्बर 542 रकबा 1.47 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.63 हैक्टेयर का हिस्सा 1/8 वाके मौजा उखलहेड़ा तहसील बानसूर तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 527 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 2.09 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 1.74 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.01 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4 वाके मौजा चोढ़ाणियां तहसील बानसूर जिला अलवर जो कि साबिक खसरा नम्बर 304/2 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन चाह का हिस्सा 1/4 व आराजी खसरा नम्बर 356 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 424 रकबा 09 बीघा, खसरा नम्बर 425 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा किता 04 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा की सालिम आराजी व आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 289/446 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा किता 07 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा का हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 23 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा वाके मौजा उखलहेड़ा तहसील बानसूर से बने हैं जो कि भूमि दावा हाजा में विवादित आराजी है। आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 542 रकबा 1.47 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 366 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा, हाल आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 1.63 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 23 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा से वाके मौजा उखलहेड़ा तहसील बानसूर तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 304/2 रकबा 05 बिस्वा से व खसरा नम्बर 527 रकबा 1.01 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 356 रकबा 04 बीघा से, खसरा नम्बर 648 रकबा 1.48 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

साबिक खसरा नम्बर 422 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा से, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.28 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 424 रकबा 09 बिस्वा से, हाल खसरा नम्बर 651 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 652 रकबा 2.09 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 425 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा से, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.18 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 259 रकबा 14 बिस्वा से, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 366 रकबा 0.32 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 264 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा से, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.42 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 271 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा से, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.39 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 289 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा से, खसरा नम्बर 422 रकबा 2.63 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 305 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा से, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.70 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 298/446 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा से, खसरा नम्बर 337 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.01 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 243 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा से वाके मौजा चोढ़ाणियां तहसील बानसूर जिला अलवर से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 बने हैं। ताइद में मिलान क्षेत्रफल पेश है। विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण असल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 की बुजुर्गानी कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि रही है जिसको कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पिता व 01 व 04 लगायत 06 के दादा व प्रतिवादी संख्या 07 के पति रामनाथ काबिज होकर काश्त करते थे व खातेदार काश्तकार रहे हैं जो राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। वादीगण के पिता रामनाथ का देहान्त हो गया है जिसके मरने के बाद विवादित आराजी को हम वादीगण व प्रतिवादीगण असल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 के बहैसियत काबिज वारिस मृतक रामनाथ के काबिज होकर काश्त कर रहे थे जिसमें वादीगण का 2/7 व प्रतिवादीगण असल संख्या 01 का 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का बहिस्सा बराबर में 2/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण 04 लगायत 06 का हिस्सा बराबर में 2/7 हिस्सा व प्रतिवादीगण 04 लगायत 06 का बहिस्सा बराबर 1/7 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 मु0 पांची बेवा रामनाथ हिस्सा 1/7 है और इसी कदर मौके पर काबिज होकर बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त कर रहे है। मुताबिक कानून व मुताबिक कब्जा मौका मृतक रामनाथ की विरासत का इन्तकाल बाबत आराजी मुतदाविया क्रम संख्या 126, 210 हम वादिनीगण व प्रतिवादीगण असल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 मु0 पांची के नाम उपरोक्त वर्णित हिस्सेजात के दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था किन्तु प्रतिवादीगण असल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इन्तकाल संख्या 126, 210 अपने अकेले के नाम बेजा रूप से बाला–बाला अपने हक में स्वीकार व फैसल करा लिये और उक्त गलत इन्तकालात के आधार पर अपना नाम बेजा रूप से कागजात माल में अमल करा लिया जबकि मुताबिक कानून व

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

मुताबिक कब्जा मौका हम वादनीगण व तरतीबी प्रतिवादीनी संख्या 07 के नाम भी दर्ज व स्वीकार होने चाहिए थे। अतः इन्तकाल संख्या 126 व 210 वाके मौजा उखलहेड़ा बावत आराजी मुतदाविया बहक असल प्रतिवादीगण कतई गलत, खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका होने के कारण हम वादनीगण के हकूकों के प्रति बातिल व बेअसर है तथा उनके आधार पर दर्ज कागजात माल भी काबिल दुरूस्ती बहक वादनीगण है घोषणा फरमाई जावे। आराजी मुतदाविया के अलावा हमारे पिता के पास ओर भी कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जिस सम्बन्ध में इन्तकाल संख्या 276 वाके मौजा उखलहेड़ा हम वादीनीगण व प्रतिवादीगण असल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 के हक में सही तरीके पर दर्ज किया गया है ताईद में सबूतार्थ इन्तकाल संख्या 276 की नकल पेश है। आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादीगण असल के नाम अकेले का इन्द्राजात होने के कारण वे अब हम वादीनीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 को बेजा रूप से बेदखल करना चाहते हैं व हमारे हकूकों को जायल करना चाहते हैं जिसकी दुरूस्ती के लिये प्रतिवादीगण असल को कहा गया तो पहले तो वे हां करते रहे और अब बजात खुर्द दिनांक 01.09.2002 से साफ इनकारी है इसलिये दावा पेश करना लाजिम आया है। वर्णित आराजीयात के शेष हिस्सेजात के सह खातेदार काश्तकार तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 08 लगायत 11 है जिनके हिस्सेजात को मौजूदा वाद में किसी भी तरह से छेड़ा नहीं गया है अर्थात् उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है किन्तु सह काश्तकार खातेदार होने के कारण उन्हें वास्ते रफाय उज्र फरीक मुकदमा बनाया गया है। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 जो कि मृतक रामनाथ की बेवा है जो कि वृद्ध है तथा बजात खुद वाद में वादी नही बन पाई है किन्तु विवादित आराजी में उसका 1/7 हिस्सा मुताबिक कानून होने के कारण उसे तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 बनाया गया है। दावा हाजा में तहसीलदार बानसूर को बहैसियत लैण्ड होल्डर वास्ते रफाय उज्र फरीक तरतीबी बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा हाजा के लिये विनाय दावा व विनाय मुखास्मत तारीख 01.09.2002 पैदा हुई है। दावा इस्तकरारहक के लिये कानून मियाद की कोई आवश्यकता नहीं है। दावा अन्दर मियाद पेश है। अतः डिक्री इस्तकरारहक बहक वादीनीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण असल इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादीनीगण संख्या 01 व 02 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 मु0 पांची व असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा नम्बर 542 रकबा 1.47 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.63 हैक्टेयर का हिस्सा 1/8 वाके मौजा उखलहेड़ा तहसील बानसूर तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 527 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 2.09 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 337 रकबा 1.74 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.01 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4 वाके मौजा चोढ़ाणियां तहसील बानसूर जिला अलवर की भूमि है जो कि साबिक राजस्व रिकॉर्ड में मृतक रामनाथ कि कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है के काबिज खातेदार काश्तकार हैं जिसमें वादीनीगण संख्या 01 व 02 बहिस्सा बराबर हिस्सा में हिस्सा 2/7 व प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 मु0 पांची बहिस्सा बराबर में 4/7 व प्रतिवादीगण संख्या 04, 05 व 06 बहिस्सा बराबर में हिस्सा 1/7 भाग के काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा इन्तकाल विरासत संख्या 126 व 210 वाके मौजा उखलहेड़ा व उसके आधार पर किया गया इन्द्राजात कागजात माल बहक असल प्रतिवादीगण कतई गलत, खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका है तथा वादनीगण के हकूकों के प्रति बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है घोषणा फरमाई जाकर दुरूस्ती कागजात माल में करवाई जावे।

वाद दर्ज पंजीका किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 07 लगायत 11 की पूर्व में ही पार्याप्त तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध वाद में एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लाई जा चुकि है तथा प्रतिवादी संख्या 12 का पूर्व में ही दिनांक 19.04.2004 को जबाब दावा पेश करने का अवसर बंद किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अपना जबाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि तरतीबी प्रतिवादी मु0 पांची जो हम प्रतिवादीगण की मां है जिसका देहान्त दौराने दावा हो चुका है। वादपत्र के पैरा संख्या 04 स्वीकार कर निवेदन है कि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 मु0 पांची का देहान्त दौराने दावा हो चुका है और इस प्रकार वादनीगण का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण असल संख्या 01 का 1/6 हिस्सा तथा हम प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का बहिस्सा बराबर में 2/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 06 का बहिस्सा बराबर में 1/6 हिस्सा के मुताबिक काबिज काश्त हैं तथा इन्तकाल विरासत संख्या 126 व 210 वाके मौजा उखलहेड़ा व उसके आधार पर किया गया इन्द्राजात कागजात माल बहक प्रतिवादीगण कतई गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ कब्जा मौका है तथा वादनीगण के हक हकूकों के प्रति बातिल व बेअसर व नाकाबिले पाबन्दी है। दावा डिक्री कर इसी कदर घोषणा फरमाई जावे तथा कागजात माल में अमल करने का आदेश दिया जावे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06 ने मूल वाद का बिन्दुवार जबाब दावा पेश कथन किया कि वक्त इन्तकाल विरासत मृतक रामनाथ वादीनीगण ने विवादित आराजी में अपना 2/7 हिस्सा अपने भाई लक्ष्मीनारायण, प्रभु, रत्न, बैया बेवा साधू चारों भाईयों तर्क कर दिया था क्यों कि वादनीगण अपनी ससुराल में रहती हैं तथा जिनके भात छूछक आदि सभी हम चारों करते आ रहे हैं साथ ही वक्त विरासत इन्तकाल रामनाथ अर्थात रामनाथ के जीवन काल में ही साधू का देहान्त हो गया था जिसके वारिस उसकी बेवा बैया व उसकी पुत्री हन्सा हुई किन्तु हन्सा ने मात्र खसरा नम्बर 243 व खसरा नम्बर 23 की भूमि में ही अपना हिस्सा चाहा शेष आराजी में निहित अपना हिस्सा अपनी माता मु. बैया को तर्क कर दिया अतः शेष आराजी पर साधू के हिस्से की भूमि का विरासत इन्तकाल उसकी माता बैया के नाम दर्ज हुआ व उक्त दोनों नम्बरों पर दोनों मां बेटियों के नाम इन्तकाल विरासत रामनाथ दर्ज किया गया है साथ ही मृतक रामनाथ की बेवा पांची ने भी अपना हिस्सा 1/7 वक्त इन्तकाल विरासत मृतक रामनाथ अपने नाम कराने से मना कर दिया व अपने चारों लड़कों के नाम ही दर्ज कराने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी ऐसी सूरत में विवादित आराजी के किसी भी भाग पर वादनीगण कब्जा काश्त नहीं है और वे अपनी ससुराल में रहती है तथा उनके भात छूछक आदि सभी उनकी इच्छा के मुताबिक हम देते व करते आ रहे हैं। इन्तकाल विरासत मृतक रामनाथ के बाद में हम प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी को हमवार करने व पैदावार बढ़ाने की गरज से काफी इम्प्रुवमेन्ट कर दिया और जिसमें हमारा करीब 100000/– एक लाख रूपया खर्चा आया है और इधर भात छूछक का भी हमारे काफी खर्चा आया है क्योंकि काफी सन्तान है और अब ऐसी स्थिती में जबकि हम पहले से ही भात छूछकों के कारण गरीब हो रहे हैं। वादनीगण इतने साल बाद अपना हिस्सा आराजी लेना चाहती है जो कि कतई गलत, खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका है। वादनीगण ने कुछ भूमि में ही अपना हिस्सा चाहा गया था जो उनको दे दिया गया था। विवादित आराजी वादनीगण निहित अपना हिस्सा वक्त विरासत इन्तकाल मृतक रामनाथ के हमें तर्क कर दिया था और इस कारण न तो वादनीगण इस भूमि से किसी तरह का कोई ताल्लूक है व न ही उनका कब्जा काश्त है इसलिये बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादनीगण विवादित आराजी को दुरूस्त कराने की अधिकारी नहीं है। तारीख 01.09.2002 गलत व मनमानी दर्ज की है उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में दर्ज किया गया विरासत इन्तकाल का ज्ञान वादनीगण को उसी समय था क्योंकि स्वयं वादनीगण अपने वाद में यह स्वीकार किया है कि इन्तकाल विरासत मृतक रामनाथ संख्या 276 में उनका नाम अंकित है। अतः वादनीगण न तो मजाज दावी है व उनका वाद बेरून मियाद है। मृतक रामनाथ की बेवा पांची ने अपना 1/7 हिस्सा वक्त इन्तकाल विरासत हमने

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

लड़को को तर्क कर दिया था ऐसी सूरत में जबकि आज मरणासन पर है व काश्त करने योग्य नहीं है उसे पक्षकार बेजा बनाया गया है। वादिया द्वारा अंकित की गई तारीख 01.09.2002 गलत व झूंठी है। वादनीगण को कोई विनाय दावा व विनाय मुखास्मत पैदा नहीं होती है। दावा वादनीगण बेरून मियाद है खारिज फरमाया जावे।

दौराने विचारण साबिक आराजी के कार्यवाही बन्दोवस्त द्वारा नये खसरा नम्बरान बना दिये जाने से वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 जाप्ता दीवानी पेश होने पर न्यायहित में न्यायालय द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त वादीगण द्वारा संशोधित वादपत्र पेश हुआ है। संशोधित वादपत्र का प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 06 ने बिन्दुवार जबाब दावा पेश कर कथन किया है कि वादिया ने अपने संशोधित वाद में न्यायालय का नाम उपखण्ड अधिकारी गलत अंकित किया है जबकि दावा न्यायालय सहायक जिलाधीश महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है। वादियागण ने मूल वाद इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक से पेश किया है जबकि संशोधित वाद घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व वाद रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक से पेश किया है जो संशोधन प्रार्थना पत्र में पारित आदेश के विपरित है। वादियागण ने मूल वाद के जिमन नम्बर 02 में अंकित खसरा नम्बर 271 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 243 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा लाईन नम्बर 05, 06,08 को संशोधित वाद के जिमन नम्बर 02 में अंकित नहीं किया है। वादियागण ने मूल वाद में जिमन नम्बर 03 को संशोधित वाद में जिमन नम्बर 04 के स्थान पर अंकित करके संशोधित वाद में जिमन नम्बर 03 नया अंकित करके नये तथ्यों के साथ अभिवचन किया है। वादियागण ने मूल वाद के जिमन नम्बर 14 अनुतोष का उप जिमन 01 अंकित रहा है जिसको संशोधित वाद में जिमन अनुतोष 15 का उपजिमन 01 अंकित किया है जिसमें साबिक आराजी खसरा नम्बर 271 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 243 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा का 1/4 शब्दों को डिलिट किया गया है। वादियागण ने विवादित साबिक आराजी से वर्तमान नम्बर खसरा बना अंकित नहीं किया गया है। वादियागण के संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया था जिसमें हाल खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर के साथ अंकित करने की अनुमति प्रदान की गई थी लेकिन वादिया ने अक्तानुसार बिना संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किये, बिना आज्ञा संशोधन प्राप्त किये वादपत्र के विपरित संशोधित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं संशोधन वाद पेश किया गया है जो विधिक सिद्धान्तों के विपरित है। वादियागण के संशोधित वाद को वाद से पृथक किया जाकर मूल वाद पर सुनवाई की जावे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

दौराने कार्यवाही तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 11 क्रमशः मु0 पांची स्त्री स्व0 रामनाथ जाति गुर्जर, भौरा पुत्र मोहन जाति गुर्जर, नाथा पुत्र गोदा जाति गुर्जर, श्योनाथ पुत्र गीदा जाति गुर्जर, भूरा पुत्र मुकन्दा जाति गुर्जर समस्त निवासीयान चौढाणिया तहसील बानसूर जिला अलवर राज. के विरूद्ध आदेश 22 नियम 04 (04) जाप्ता दीवानी में पारित आदेश दिनांक 27.12.2019 का नाम मूल वाद से डिलिट किया गया है।

वादियागण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर कायम मूल तनकी के स्थान पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी संख्या 01– आया साबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादिया मृतक रामनाथ के नाम दर्ज साबिक खातेदारी में विधिक वारीसान होने की हैसियत से हाल आराजी विवादित में मुताबिक हिस्सा पैत्रिक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादियागण

तनकी संख्या 02– आया मृतक रामनाथ की मृत्यु के पश्चात दर्ज इन्तकाल व उसके आधार पर कायम की गई जमाबन्दीयात वादियागण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बातिल व बेअसर, नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने योग्य है ?

.....जिम्मे वादियागण

तनकी संख्या 03– आया बाद घोषणा हाल विवादित आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा प्रतिवादीगण असल उत्पन्न नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ?

.....जिम्मे वादियागण

तनकी संख्या 04– आया विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर में अपने खातेदारी अधिकार दर्ज होने विरासत रामनाथ अपने भाइयों के हक में कर दिये जाने से वारिसान को वर्तमान वाद लाने का अधिकार नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 05– आया वादियागण ने मियाद बाहर वाद प्रस्तुत किया है जिसका वाद पर क्या असर होगा ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 06– आया वादियागण ने क्षेत्राधिकार बाहर वाद प्रस्तुत किया है। क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 07– अनुतोष ?

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

वादियागण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य बतौर पी. डब्ल्यु–01 पार्वती, पी.डब्ल्यु–02 मल्ली देवी, पी.डब्ल्यु–03 रामेश्वर, पी.डब्ल्यु–04 महाराम, पी.डब्ल्यु–05 प्रभु के शपथ–पत्र पेश कर दावा हाजा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रदर्श–01 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055 ग्राम उखलहेड़ा खाता संख्या 74, 75, 76, 134, 135, 136,148, 149, प्रदर्श–02 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2058 ग्राम उखलहेड़ा, प्रदर्श–03 नकल नामान्तकरण संख्या 276 ग्राम उखलहेड़ा, प्रदर्श–04 नकल इन्तकाल संख्या 126 ग्राम उखलहेड़ा, प्रदर्श–05 नकल नामान्तकरण संख्या 210 ग्राम उखलहेड़ा पेश किये हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 06 ने अपनी ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में डी.डब्ल्यु–01 गोपी, डी.डब्ल्यु–02 भोलाराम, डी.डब्ल्यु–03 बैया, डी. डब्ल्यु–04 गोकल सिंह शेखावत, डी.डब्ल्यु–05 गुरजाराम, डी.डब्ल्यु–06 नन्दलाल, डी.डब्ल्यु–07 महेश चन्द के शपथ–पत्र पेश कर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–डी 01 नकल नामान्तकरण संख्या 177 दिनांक 05.11.2014 ग्राम चौढ़ाणियां, प्रदर्श–डी 02 नकल नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 21.06.2004 ग्राम उखलहेड़ा, प्रदर्श–डी 03 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 74 ग्राम चौढ़ाणियां, प्रदर्श–डी 04 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 99 ग्राम उखलहेड़ा, प्रदर्श–डी 05 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 02 ग्राम चौढ़ाणियां, प्रदर्श–डी 06 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 08 ग्राम चौढ़ाणियां पेश किये हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई, वादिया अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस के साथ लिखित बहस का प्रतिवेदन पेश किया जिसकी नकल प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलवाई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी की लिखित बहस के प्रतिउत्तर में अपनी लिखित बहस का प्रतिवेदन पेश किया जिसकी नकल वादिया अधिवक्ता को दिलवाई गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस प्रतिवेदन, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अध्ययन व मनन किया। विचारण वाद का मेरे द्वारा तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जा रहा है–

तनकी संख्या 01– आया साबिक राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादिया मृतक रामनाथ ने नाम दर्ज साबिक खातेदारी में विधिक वारीसान होने की हैसियत से हाल आराजी विवादित में मुताबिक हिस्सा पैत्रिक खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादियागण पर था। वादियागण के वादपत्र, संशोधित वादपत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित आराजी

सहायक कलेक्टर
बानसूर (अलवर)

राजस्व ग्राम चौढ़ाणियां व उखलहेड़ा तहसील बानसूर में मृतक रामनाथ पुत्र मोहन जाति गुर्जर की साबिक खातेदारी की आराजी रही है जिसके वाद के जिम्मन नम्बर एक में अंकित सजरा के अनुसार हम वादियागण, असल प्रतिवादीगण व मृतक पांची देवी बहिस्सा बराबर के खातेदार हैं लेकिन प्रतिवादीगण असल ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इन्तकाल संख्या 126 व 210 अपने नाम गलत दर्ज करवा लिया। मौखिक एवं लिखित बहस प्रतिवेदन के अनुसार एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–01 जमाबन्दी सम्वत 2055 ग्राम उखलहेड़ा के खाता संख्या 74, 75, 76, 134, 135, 136,148, 149 में दर्ज खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण असल ने बहैसियत वारिस रामनाथ पुत्र मोहन जाति गुर्जर से अपने नाम खातेदारी में प्राप्त करना तथा विरासत सजरा को असल प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब दावा में स्वीकार किये जाने के आधार पर वादियागण रामनाथ की सन्तान होने व प्रदर्श–03 इन्तकाल संख्या 276 ग्राम उखलहेड़ा में खातेदार मृतक रामनाथ पुत्र मोहन की विरासत बतौर वारिस पुत्रियान की हैसियत से वादिया पार्वती व मल्ली के नाम खातेदारी में मुताबिक कानून दर्ज होकर सही स्वीकार हुआ है लेकिन राजस्व ग्राम उखलहेड़ा में मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन की अन्य खातेदारी आराजी का विरासत इन्तकाल संख्या 126 व 210 प्रदर्श–04 व 05 में वादियागण के नाम वारिस कॉलम में पुत्रीयों की हैसियत से नाम दर्ज नहीं कर अकेले असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर खिलाफ कानून स्वीकार किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 06 में किये गये संशोधन सन् 2005 के पश्चात मृतक खातेदार की खातेदारी भूमि में पुत्रों के समान पुत्रीयों का भी जन्म से ही हक एवं अधिकार माना गया है। **वादियागण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2013 (2)आर. आर.टी. पेज 1284, ए.आई.आर.2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 2499, धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 08 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956** की रोशनी में मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन की मृत्यु के पश्चात राजस्व ग्राम उखलहेड़ा में दर्ज इन्तकाल संख्या 276 प्रदर्श–03 सही दर्ज किया गया है लेकिन राजस्व ग्राम उखलहेड़ा के इन्तकाल संख्या 126, 210 प्रदर्श–04 व 05 वादियागण के खातेदारी अधिकारों के विपरित अकेले असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होकर स्वीकार किये गये हैं जो प्रारम्भ से ही वादियागण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुन्य हैं जिसे निरस्त करार दिया जाकर वादियागण को मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में प्राप्त होने वाले खातेदारी हिस्से के विरूद्ध बातिल एवं बेअसर करार दिया जाकर वादियागण को विवादित हाल आराजी में बहिस्सा बराबर 2/6 हिस्से में खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

अतः तनकी संख्या 01 वादियागण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 02– आया मृतक रामनाथ की मृत्यु के पश्चात दर्ज इन्तकाल व उसके आधार पर कायम की गई जमाबन्दीयात वादियागण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बातिल व बेअसर, नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने योग्य है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादियागण पर था। राजस्व ग्राम उखलहेड़ा के इन्तकाल संख्या 126, 210 प्रदर्श–04 व 05 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत 2055 खाता संख्या 74, 75, 76, 134, 135, 136,148, 149 मौजा उखलहेड़ा तहसील बानसूर प्रदर्श–01 में मृतक रामनाथ पुत्र मोहन की खातेदारी प्रदर्श–04 व 05 इन्तकाल से असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है लेकिन मृतक रामनाथ पुत्र मोहन की खातेदारी भूमि उखलहेड़ा विरासत इन्तकाल संख्या 276 प्रदर्श–03 में वादियागण को बतौर पुत्रीयांन वारिस दर्ज कर सही स्वीकार किया गया है। तनकी संख्या 01 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जा चुका है ऐसी सूरत में वर्तमान जमाबन्दीयात में दर्ज असल प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी व इन्तकाल संख्या 126 व 210 वाके मौजा उखलहेड़ा प्रारम्भ से ही वादियागण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शुन्य हैं जिसे निरस्त करार दिया जाकर वादियागण को मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में प्राप्त होने वाले खातेदारी हिस्से के विरूद्ध बातिल एवं बेअसर करार दिया जाना न्यायोचित है।

अतः तनकी संख्या 02 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी संख्या 03– आया बाद घोषणा हाल विवादित आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा प्रतिवादीगण असल उत्पन्न नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादियागण पर था। वादियागण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज इन्तकाल संख्या 276 मौजा उखलहेड़ा प्रदर्श–03 एवं जमाबन्दी सम्वत 2055 खाता संख्या 74, 75, 76, 134, 135, 136,148, 149 मौजा उखलहेड़ा तहसील बानसूर प्रदर्श–01 के अनुसार मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन से प्राप्त हुई पैत्रिक सम्पत्ति है जो मुताबिक सजरा व मुताबिक कानून संयुक्त परिवार की सामलाती सहखातेदारी भूमि होना प्रमाणित किया है। संयुक्त परिवार की सामलाती सम्पत्ति में प्रत्येक सदस्य का जन्म से हक एवं अधिकार रहता है, संयुक्त परिवार के सदस्य को बेकाबिज नहीं माना जाकर संयुक्त कब्जे की सम्पत्ति मानी जाती है अर्थात संयुक्त परिवार के किसी भी सदस्य को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर बेदखल किया जाकर

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। विचारण वाद में तनकी संख्या 01 व 02 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जा चुका है। यदि बाद इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वादियागण के उपयोग उपभोग में मजामहत पैदा नहीं करें इसलिये असल प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में वादियागण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री दिया जाना न्यायोचित है।

अतः तनकी संख्या 03 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी संख्या 04– आया विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर में अपने खातेदारी अधिकार दर्ज होने विरासत रामनाथ अपने भाइयों के हक में कर दिये जाने से वारिसान को वर्तमान वाद लाने का अधिकार नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण असल पर था। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अपना जबाब दावा पेश कर वादियागण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुये कथन किया है कि तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 मु0 पांची का देहान्त होने के पश्चात विवादित आराजी में वादियागण को बहिस्सा बराबर 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 को बहिस्सा बराबर में 3/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 04, 05, 06 को बहिस्सा बराबर में हिस्सा 1/6 हिस्सा का काबिज खातेदार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर दिया जाने पर अपनी अनापत्ति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 06 ने अपनी लिखित बहस प्रतिवेदन व मौखिक गवाह शपथ–पत्र में वादियागण द्वारा विवादित आराजी में अपना खातेदारी हिस्सा तर्क किये जाने का कथन किया है लेकिन हिस्सा तर्क किये जाने बाबत किसी प्रकार का कोई लिखित दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है। मुताबिक कानून पैत्रिक सम्पत्ति में प्राप्त होने वाले हिस्से को किसी भी सहस्वामी द्वारा मौखिक आधार पर किसी भी सहस्वामी के पक्ष में तर्क किया जाना मान्य नहीं है। वादियागण स्वयं द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये वादपत्र पेश कर स्वयं के पक्ष में तनकी संख्या 01 व 02 को अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करने में सफल हो गयी हैं बाद विवेचन तनकी संख्या 01 व 02 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जा चुका है ऐसी सूरत में इस तनकी को वादियागण के पक्ष में तय किया जाना न्यायोचित है।

अतः तनकी संख्या 04 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी संख्या 05– आया वादियागण ने मियाद बाहर वाद प्रस्तुत किया है जिसका वाद पर क्या असर होगा ?

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। मृतक रामनाथ पुत्र मोहन की खातेदारी भूमि में असल प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदर्श– 04 व 05 इन्तकाल संख्या 126 व 210 मौजा उखलहेड़ा से हाल आराजी में प्राप्त किये हैं। मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन की अन्य खातेदारी भूमि में वादियागण ने प्रदर्श–03 इन्तकाल संख्या 276 मौजा उखलहेड़ा से प्राप्त किये हैं। इस प्रकार मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन के जायज वारिसान सूची में वादियागण का नाम दर्ज होना प्रमाणित पाया जाता है तथा हाल विवादित आराजी में मृतक खातेदार रामनाथ पुत्र मोहन के जायज वारिसान की हैसियत से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने बाबत अनुसूची 03 में मियाद अवधि निर्धारित नहीं है अर्थात जब भी खातेदार को उनके खातेदारी अधिकारों के हनन बाबत प्रथम बार धमकी मिलने पर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार विचारण वाद में मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस तनकी को प्रतिवादीगण अपने पक्षे में साबित करने में असफल रहे हैं।

अतः तनकी संख्या 05 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी संख्या 06– आया वादियागण ने क्षेत्राधिकार बाहर वाद प्रस्तुत किया है। क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विवादित आराजी राजस्व ग्राम उखलहेड़ा तहसील बानसूर में स्थित है जिसको वर्तमान में चौढ़ाणियां व उखलहेड़ा अलग–अलग राजस्व ग्राम कायम कर दिये गये हैं जो तहसील बानसूर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। न्यायिक प्रशासन के अनुसार राजस्व ग्राम चौढ़ाणियां व उखलहेड़ा की कृषि भूमि के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय वर्तमान न्यायालय द्वारा किया जा रहा है ऐसी सूरत में तनकी संख्या 06 का विनिश्चय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाना न्यायोचित है।

अतः तनकी संख्या 06 का निर्णय वादियागण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी संख्या 07– अनुतोष ?

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 01 लगायत 06 का निर्णय वादियागण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जा चुका है।

अतः **राजस्व ग्राम उखलहेड़ा तहसील बानसूर** की हाल आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा नम्बर 542 रकबा 1.47 हैक्टेयर में दर्ज

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/24, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/6, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/24 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/12, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/12, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/24 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/72 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/36, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/36 का खातेदार तथा आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 1.63 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/96, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/32, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/96, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/32, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/96, हंसा पुत्री साधू हिस्सा 1/32 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/48, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/48, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/48, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/48 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/96 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/288 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/144, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/144 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है **एवं राजस्व ग्राम चोढ़ाणियां तहसील बानसूर जिला अलवर** हाल आराजी खसरा नम्बर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर में दर्ज खातेदारान के साथ पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी चौढ़ाणियां व मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल जाति गुर्जर निवासी चौढ़ाणियां का नाम दर्ज किया जावे, खसरा नम्बर 527 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 2.09 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/12, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/4, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/3, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/4, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/12 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/6, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/6, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/18, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/6 का हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/36 हिस्सा, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/6, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/18, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/12 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया जावे **तथा** खसरा नम्बर 358 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.70 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/24, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/6, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/24 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/12, मल्ली पुत्री रामनाथ

सहायक कलेक्टर
बानसूर (अलवर)

स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/12, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/24 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/72 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/36, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/36 का खातेदार दर्ज किया जावे तथा खसरा नम्बर 337 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.01 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/48, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/16, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/48, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/16, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/48, हंसा पुत्री साधु हिस्सा 1/16 के स्थान पर पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/24, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/24, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/48 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/144 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/72, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/72 का खातेदार दर्ज किया जावे, समस्त खातेदारान की जाति गुर्जर निवासीयान चौढ़ाणियां तहसील बानसूर दर्ज की जावे शेष इन्द्राज जमाबन्दी बैंक रहन सहित पूर्व की भांति यथावत रखा जावे। मुताबिक आदेश पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 31/8/21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर (अलवर) राज.

पीठासीन अधिकारी – सुश्री रेखा गूर्जर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या–159/2002
दायर दिनांक –07.09.2002
निर्णय दिनांक – 31/8/24

उनवान

1. पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी चौढाणिंया तहसील बानसूर जिला अलवर हालवासी ससुराल मोलाहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
2. मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल जाति गुर्जर निवासी चौढाणिंया तहसील बानसूर जिला अलवर हालवासी ससुराल कल्यानपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. हन्सा पुत्री साधू पौत्री रामनाथ जाति गुर्जर
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर
3. प्रभु पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर
4. विशम्बर पुत्र रत्न पौत्र रामनाथ जाति गुर्जर
5. गोपीराम पुत्र रत्न पौत्र रामनाथ जाति गुर्जर
6. मु0 बैया स्त्री स्व0 रत्न पुत्रवधु रामनाथ जाति गुर्जर
   समस्त निवासीयान चौढाणिंया तहसील बानसूर जिला अलवर राज.

—असल प्रतिवादीगण

7. श्रीमान तहसीलदार महोदय, बहैसियत लैण्ड होल्डर बानसूर जिला अलवर राज.

—तरतीवी प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राज.काश्त.अधि.

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री छाजूसिंह तंवर एड.– वादीगण की ओर से
2. श्री हरफूल सिंह मीणा एड़– प्रतिवादी संख्या 02, 03 की ओर से
3. श्री सहमाल रावत एड.– प्रतिवादीगण 04 लगायत 06 की ओर से
4. परोकार सरकार– तरतीबी प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से
5. एक पक्षीये कार्यवाही– प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

पर्चा डिक्री

वादियागण का वाद डिक्री किये जाने पर यह पत्रावली पर्चा डिक्री जारी करने हेतु मेरे समक्ष पेश हुई अतः आदेश है कि **राजस्व ग्राम उखलहेड़ा तहसील बानसूर** की हाल आराजी खसरा नम्बर 541 रकबा 0.01 हैक्टे0, खसरा नम्बर 542 रकबा 1.47 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/24, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/6, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/24 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/12, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/12, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/24 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/72 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/36, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/36 का खातेदार तथा आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 1.63 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/96, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/32, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/96, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/32, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/96, हंसा पुत्री साधू हिस्सा 1/32 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/48, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/48, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/48, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/48 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/96 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/288 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/144, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/144 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है **एवं राजस्व ग्राम चोढ़ाणियां तहसील बानसूर जिला अलवर** हाल आराजी खसरा नम्बर 420 रकबा 0.06 हैक्टेयर में दर्ज खातेदारान के साथ पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश जाति गुर्जर निवासी चौढ़ाणियां व मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल जाति गुर्जर निवासी चौढ़ाणियां का नाम दर्ज किया जावे, खसरा नम्बर 527 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 648 रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 650 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 652 रकबा 2.09 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/12, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/4, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/3, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/4, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/12 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/6, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/6, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/18, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/6 का हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/36 हिस्सा, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/6, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/18, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/12 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया जावे **तथा** खसरा नम्बर 358 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 365 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.70 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/24, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/6, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/8, विसम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/24 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/12, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/12, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/12 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/24 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/72 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/36, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/36 का खातेदार दर्ज किया जावे **तथा** खसरा नम्बर 337 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.01 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार गोपी पुत्र रतन हिस्सा 1/48, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/16, बैया पत्नि रतन हिस्सा 1/48, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/16, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/48, हंसा पुत्री साधु हिस्सा 1/16 **के स्थान पर** पार्वती पुत्री रामनाथ स्त्री कैलाश हिस्सा 1/24, मल्ली पुत्री रामनाथ स्त्री रामदयाल हिस्सा 1/24, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24, प्रभु पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24 का हिस्सा, हंसा पुत्र साधू हिस्सा 1/48 हिस्सा, बैया पत्नि रतन 5/144 हिस्सा, गोपीराम पुत्र रतन हिस्सा 1/72, विशम्बर पुत्र रतन हिस्सा 1/72 का खातेदार दर्ज किया जावे, समस्त खातेदारान की जाति गुर्जर निवासीयान चौढ़ाणियां तहसील बानसूर दर्ज की जावे शेष इन्द्राज जमाबन्दी बैंक रहन सहित पूर्व की भांति यथावत रखा जावे।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 31/8/21 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा सें जारी की गई।

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)